The Research Dialogue
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-04, Issue-01, April-2025
www.theresearchdialogue.com

"प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं ग्रामीणों पर इसका प्रभाव"

अवधेश कुमार सिंह
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, अर्थशास्त्र विभाग
बद्री विशाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश

"किसान नहीं तो अन्न नहीं, अन्न नहीं तो जीवन नहीं।"

भारत के गाँवों की सुबह हल की खड़खड़ाहट और बैलों की घंटियों की टुनटुनाहट से होती है। यही दर्शाता है कि देश की रीढ़ — उसका किसान — हर सुबह नए उत्साह के साथ खेतों में उतरता है। परंतु विडंबना यह है कि वर्षों से किसान खुद ही जीवन के लिए संघर्ष करता रहा है। आर्थिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, कर्ज़ का बोझ और कृषि लागत में निरंतर वृद्धि ने किसानों के जीवन को जटिल बना दिया।

शोध अध्ययन

भारत में कृषि सदियों से जीवन का आधार रही है। स्वतंत्रता के बाद से अनेक योजनाएँ किसानों के कल्याण के लिए चलाई गईं, परंतु अधिकांश योजनाओं का लाभ सीमित और असमान रूप में ही किसानों तक पहुँचा। 2010 के बाद देशभर में किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़े। भूमि की घटती उर्वरता, फसल बीमा की जटिल प्रक्रिया, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति और कृषि लागत में वृद्धि ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दीं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, हर साल हज़ारों किसान आत्महत्या करते हैं। इसका एक मुख्य कारण है—आर्थिक असुरक्षा। खेती की लागत बढ़ रही है, मौसम अस्थिर होता जा रहा है, लेकिन आमदनी जस की तस। ऐसे में भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य था—देश के हर योग्य किसान को न्यूनतम आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वह खेती के लिए ज़रूरी खर्च उठा सके और उसकी आत्मनिर्भरता बढ़े।

भारत, जहाँ हर उत्सव, हर परंपरा और हर साँस कहीं-न-कहीं खेतों की मिट्टी से जुड़ी होती है, वहाँ कृषि केवल एक पेशा नहीं—बल्कि एक संस्कृति है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ अधिकांश जनसंख्या की आजीविका कृषि पर निर्भर करती है। परंतु इसी संस्कृति को

संजोने वाला हमारा अन्नदाता, कई दशकों तक आर्थिक अनिश्चितता, प्राकृतिक आपदाओं, कर्ज और सरकारी असहायता के बोझ तले दबा रहा।

इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने 1 फरवरी 2019 को बजट भाषण में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी मानी गई और प्रारंभ में इसे छोटे और सीमांत किसानों (जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन है) के लिए लागू किया गया। बाद में इसे सभी भूमि धारक किसानों के लिए विस्तारित कर दिया गया। यह योजना केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और सम्मान का प्रतीक है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की शुरुआत की है।

योजना का स्वरूप और क्रियान्वयन

1. आय सहायता: इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह आय सहायता 2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है।
2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: इससे सुनिश्चित होता है कि पारदर्शिता को बढ़ावा देने एवं विलंब को कम करने के क्रम में धनराशि को प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाए।
3. पात्रता: सभी भूमिधारक किसान परिवार (जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है) इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र हैं।
4. परिवार की परिभाषा: इस योजना के प्रयोजनों हेतु एक किसान "परिवार" में पति, पत्नी एवं नाबालिग बच्चों को शामिल किया गया है।
5. लाभार्थी की पहचान: पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की ज़िम्मेदारी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों (UT) की है।
6. कार्यान्वयन एजेंसी: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) कार्यान्वयन एजेंसी है। इस योजना को लागू करने के लिये DA&FW सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि विभाग के साथ कार्य करता है।
7. KYC लिंकेज: सरकार ने किसानों की औपचारिक ऋण तक पहुँच को सुव्यवस्थित करने, दस्तावेज़ीकरण को कम करने और मौजूदा लाभार्थी डेटा का उपयोग करके ऋण प्रसंस्करण को तेज़ करने के लिये किसान क्रेडिट कार्ड को PM-KISAN के साथ जोड़ा गया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किसानों पर प्रभाव

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य केवल किसानों को आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना भी है। इस योजना का ग्रामीण भारत के किसानों पर कई स्तरों पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है:

1. आर्थिक स्थिरता में सुधार

पहले जहाँ छोटे किसान बीज, खाद और कीटनाशकों जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए साहूकारों से ऊँचे ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर थे, वहीं अब इस योजना से मिलने वाली धनराशि उनके लिए एक राहत बनकर आई है। ₹2000 की हर किस्त भले ही छोटी लगे, लेकिन यह समय पर मिलने पर बड़ी राहत देती है—खासकर बोवाई और कटाई के मौसम में।

उदाहरण: उत्तर प्रदेश के एक सीमांत किसान रवि पाल ने इस योजना से मिली राशि से पहली बार उन्नत बीज खरीदे, जिससे उसकी फसल की उपज में 30% की बढ़ोत्तरी हुई।

2. आत्मनिर्भरता में वृद्धि

इस योजना ने किसानों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया है। वे खेती के संसाधनों के लिए अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। कई किसान अब उन्नत खेती, जैविक खेती या सब्ज़ियों की खेती जैसे नवाचारों की ओर भी बढ़ रहे हैं।

3. सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि

जब किसान के खाते में सरकार सीधे पैसा भेजती है, तो उसे लगता है कि वह देश के विकास का अहम हिस्सा है। "सम्मान निधि" शब्द खुद किसान के आत्मसम्मान को जगाने वाला है।

4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल

जब करोड़ों किसानों को सालाना नकद सहायता मिलती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने की क्षमता बढ़ती है। इससे न केवल कृषि उपकरणों की माँग बढ़ी है, बल्कि स्थानीय दुकानों, मंडियों और बाजारों में भी आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ हुई हैं।

5. बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर अंकुश

योजना की सबसे बड़ी विशेषता है—प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)। इससे सहायता राशि सीधे किसान के बैंक खाते में पहुँचती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है और पारदर्शिता बनी रहती है।

6. बैंकिंग और डिजिटल जागरूकता

इस योजना के माध्यम से करोड़ों किसान बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खातों की संख्या बढ़ी है और किसान अब मोबाइल मैसेज, आधार लिंकिंग और KYC जैसी डिजिटल चीज़ों को भी समझने लगे हैं।

7. भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव योजना से मिलने वाली नियमित सहायता ने किसानों के मनोबल को बढ़ाया है। उन्हें अब यह विश्वास होने लगा है कि सरकार उनके साथ है। इससे किसान आत्महत्या जैसे चरम कदम उठाने से भी बच रहे हैं।

महिलाओं की भागीदारी

भारत की कृषि में महिलाएं हमेशा से 'अनदेखी रीढ़' रही हैं। वे खेत में काम करती हैं, बीज बोती हैं, कटाई करती हैं, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में अक्सर पीछे रह जाती हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जब सीधे बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर की जाने लगी, तब कई महिलाओं ने स्वयं के नाम पर भूमि का पंजीकरण करवाया। इससे उन्हें पहली बार आर्थिक स्वायत्तता और अधिकार की अनुभूति हुई। कई राज्यों में महिला किसानों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

योजना के तहत महिलाओं को समय पर कृषि निवेश करने की स्वतंत्रता मिली। महिलाओं के बैंक खातों में धन आने से गृहस्थी संचालन और बच्चों की शिक्षा जैसे कार्यों में सुधार देखा गया। इस योजना ने उन्हें "सहायक" से "निर्णयकर्ता" की भूमिका में लाने का रास्ता खोला है।

PM-KISAN मोबाइल ऐप

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को योजना से जुड़ी सुविधाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान मित्र एप और PM-KISAN मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल उपकरणों की शुरुआत की गई है। इन ऐप्स के माध्यम से किसानों को योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना और अपनी स्थिति की निगरानी करना आसान हो गया है। यह ऐप किसानों को सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाली सभी सुविधाओं से जोड़ता है। इस ऐप के माध्यम से किसान:

1. अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि आधार नंबर, बैंक खाता विवरण आदि।
2. कृषि सहायता की स्थिति देख सकते हैं, जैसे कि कब और कितनी राशि ट्रांसफर हुई।
3. नए किसान पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4. सीधे लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की निगरानी कर सकते हैं।

किसान मित्र ऐप

किसान मित्र ऐप को खासतौर पर किसानों को योजना की आधिकारिक जानकारी और सहायता देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके माध्यम से किसान:

1. किसान योजना और योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2. पंजीकरण और लाभ वितरण प्रक्रिया में मदद पा सकते हैं।
3. दिशानिर्देश और शिक्षा के लिए कृषि से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स ने किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार योजनाओं तक पहुँचने में सरलता प्रदान की है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि सुधार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है।

अन्य देशों से तुलना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत की पहली ऐसी राष्ट्रव्यापी योजना है जो किसानों को प्रत्यक्ष नकद सहायता प्रदान करती है। इसकी तुलना में, विकसित और विकासशील देशों में भी कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के विभिन्न मॉडल अपनाए गए हैं। अमेरिका में किसानों के लिए फार्म सब्सिडी, क्रॉप इंश्योरेंस, और प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं। वहाँ सरकार उपज की कीमतों की गारंटी देती है और उत्पादन घटने पर नुकसान की भरपाई करती है। साथ ही, किसानों को ऋण माफी और बीज/खाद पर सब्सिडी दी जाती है। यह सहायता बड़ी मात्रा में होती है, परंतु अधिकतर लाभ बड़े कृषि व्यवसायों तक सीमित रहता है।

यूरोपीय संघ में Common Agricultural Policy (CAP) के तहत किसानों को आय समर्थन, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। यह नीति न केवल आय सुरक्षा देती है बल्कि टिकाऊ कृषि को बढ़ावा भी देती है। चीन में किसानों को इनपुट सब्सिडी, बीज अनुदान, और कृषि मशीनरी पर सहायता प्रदान की जाती है। वहाँ सरकार कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय कर बाज़ार हस्तक्षेप करती है।

PM-KISAN एक कम लागत, उच्च कवरेज वाली योजना है। यह छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त करने पर केंद्रित है, जो भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए अधिक व्यावहारिक है। जहाँ अन्य देश मूल्य और उत्पादन आधारित सहायता देते हैं, वहीं भारत ने नकद सहायता के माध्यम से किसान के आत्मनिर्भर बनने पर बल दिया है। इस प्रकार, PM-KISAN एक सरल, पारदर्शी और समावेशी मॉडल है, जिसे कई विकासशील देश प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं।

आलोचनाएँ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) को भले ही एक क्रांतिकारी पहल माना जाए, लेकिन इसकी प्रभावशीलता, वितरण प्रणाली, और यथार्थवादी उपयोगिता को लेकर कई स्तरों पर आलोचनाएँ भी सामने आई हैं। ये आलोचनाएँ योजना की कमियों की ओर इशारा करती हैं और इसके सुधार की ज़रूरत को रेखांकित करती हैं।

1. सहायता राशि अपर्याप्त है

₹6,000 प्रति वर्ष, यानी केवल ₹500 प्रति माह, आज की महँगाई और खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए बहुत कम है। यह राशि बीज, खाद, सिंचाई, मजदूरी, कीटनाशक और कृषि यंत्रों जैसी आवश्यक चीज़ों के लिए पर्याप्त नहीं है।

विशेषज्ञों की राय: कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना "अस्थायी राहत" तो दे सकती है, लेकिन यह किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी नहीं करती।

2. सभी किसानों को लाभ नहीं मिल पाया

कई राज्य ऐसे हैं जहाँ ज़मीन के रिकॉर्ड अपूर्ण, पुराने या विवादित हैं। इसके कारण लाखों पात्र किसान योजना से वंचित रह गए। भूमिहीन कृषक मज़दूर, बटाईदार किसान (जो ज़मीन किराए पर लेकर खेती करते हैं) इस योजना के दायरे में नहीं आते, जबकि उनकी हालत सबसे अधिक दयनीय होती है।

नतीजा: जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वे अक्सर इस योजना के लाभ से बाहर रह जाते हैं।

3. डिजिटल और प्रशासनिक अड़चनें

कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसान डिजिटल साक्षरता से वंचित हैं। वे ऑनलाइन पंजीकरण, आधार सीडिंग, या बैंक खाते के लिंक जैसी प्रक्रियाओं को ठीक से नहीं समझते। कई किसानों के आवेदन तकनीकी त्रुटियों के कारण अस्वीकृत हो जाते हैं, और उन्हें इसका कारण भी नहीं बताया जाता।

4. राजनीतिकरण और प्रचार की आलोचना

कुछ आलोचकों का मानना है कि यह योजना चुनावी लाभ के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसे अधिकतर जगहों पर राजनीतिक प्रचार का माध्यम बनाया गया, जिससे असली उद्देश्य यानी किसानों की मदद, गौण हो गया।

5. योजना का लाभ असमान रूप से मिला

ज़्यादा प्रभावशाली या बड़े ज़मींदारों ने भी इस योजना से लाभ लिया, जबकि गरीब, सीमांत और जरूरतमंद किसान पीछे रह गए। कुछ मामलों में एक ही परिवार के कई सदस्य अलग-अलग नामों से लाभ उठा रहे हैं, जिससे योजना का उद्देश्य विकृत हो रहा है।

6. निगरानी और फॉलोअप की कमी

बहुत-से राज्यों में योजना के क्रियान्वयन की निगरानी सही ढंग से नहीं हुई। गलत लाभार्थियों की पहचान, भुगतान में देरी, और शिकायत निवारण तंत्र की कमजोरी ने योजना की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े किए हैं।

7. पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त किया जाए

सुझाव: प्रत्येक किसान को उसके आवेदन और भुगतान की SMS या व्हाट्सएप सूचना मिले। शिकायतों के समाधान के लिए 24x7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बनाया जाए।

8. विशेष फोकस: महिला किसानों के लिए प्रावधान

सुझाव: जिन परिवारों में महिला मुखिया किसान हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। महिला कृषकों के लिए वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण और समूह सहायता कार्यक्रम चलाए जाएँ।

9. पर्यावरण-अनुकूल खेती को प्रोत्साहित किया जाए

सुझाव: जो किसान जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, या जल-संरक्षण तकनीक अपनाते हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाए। योजना को हरित भारत अभियान से जोड़ा जाए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सुझाव

1. सहायता राशि में बढ़ोतरी

₹6,000 की वार्षिक राशि वर्तमान कृषि लागत के अनुसार अपर्याप्त है। इसे बढ़ाकर ₹12,000 या ₹15,000 वार्षिक किया जाए, ताकि यह किसान के लिए वाकई मददगार साबित हो।

2. भूमिहीन और बटाईदार किसानों को भी शामिल किया जाए

वर्तमान में केवल भूमि धारक किसानों को योजना का लाभ मिलता है। भूमिहीन कृषि श्रमिक, बटाईदार किसान, और महिला कृषक भी खेती में बराबर भागीदारी रखते हैं। इन्हें स्थानीय निकायों के माध्यम से सत्यापित कर लाभार्थी बनाया जाए।

3. डिजिटल प्रक्रिया को सरल और ग्रामीणों के अनुकूल बनाया जाए

आवेदन, आधार लिंकिंग, KYC जैसी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर हेल्प डेस्क या कृषि स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देकर किसानों की मदद की जाए।

4. लाभार्थियों की सूची को नियमित अपडेट किया जाए ज़मीन के रिकॉर्ड पुरानी जानकारी पर आधारित होते हैं, जिससे पात्र किसान वंचित रह जाते हैं। हर 6 महीने में पात्रता सूची का पुनः सत्यापन हो, और गलत प्रविष्टियाँ हटाई जाएँ।

5. सहायता राशि के उपयोग पर निगरानी और मार्गदर्शन

किसानों को सलाह दी जाए कि इस राशि का उपयोग कृषि संसाधनों (बीज, खाद, सिंचाई, मरम्मत) में करें।

कृषि विभाग की टीम किसानों को बजट प्लानिंग और उन्नत कृषि के लिए प्रेरित करे।

6. योजना को कृषि बीमा, उर्वरक सब्सिडी और बाजार सहायता से जोड़ा जाएयह योजना एक समेकित कृषि सहायता पैकेज का हिस्सा बने। इससे किसान को नकद राशि के साथ-साथ बीमा, मंडी मूल्य, और फसल प्रबंधन जैसी सेवाएँ भी मिलें।

7. पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त किया जाए

प्रत्येक किसान को उसके आवेदन और भुगतान की SMS या व्हाट्सएप सूचना मिले। शिकायतों के समाधान के लिए 24x7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बनाया जाए।

8. विशेष फोकस: महिला किसानों के लिए प्रावधान जिन परिवारों में महिला मुखिया किसान हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। महिला कृषकों के लिए वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण और समूह सहायता कार्यक्रम चलाए जाएँ।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारतीय कृषि व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में सामने आई है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सीधी नकद सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना ने लाखों किसानों को राहत दी है, जिससे वे कृषि संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर कर पा रहे हैं। विशेष रूप से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी आई है।

हालाँकि, योजना को लेकर कुछ चुनौतियाँ भी हैं—जैसे सहायता राशि की सीमितता, भूमिहीन किसानों की उपेक्षा, और डिजिटल साक्षरता की कमी। यदि इन समस्याओं को दूर कर दिया जाए और योजना को व्यापक, समावेशी और कृषि सुधारों से जोड़ा जाए, तो यह ग्रामीण भारत में एक स्थायी परिवर्तन ला सकती है।

कुल मिलाकर, यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि किसानों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास भी देती है। यह भारत सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है और भविष्य में यदि इसे और प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो यह भारत के कृषि विकास की रीढ़ बन सकती है।

संदर्भ सूची

1. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. (n.d.). Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN). Government of India. Retrieved April 13, 2025, from https://pmkisan.gov.in/
2. Press Information Bureau. (2024, February 28). PM releases 19th installment of PM-KISAN scheme. Government of India. Retrieved from https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2105745
3. National Government Services Portal. (n.d.). PM-KISAN Samman Nidhi. Government of India. Retrieved April 13, 2025, from https://services.india.gov.in/service/detail/pm-kisan-samman-nidhi-1
4. Open Government Data (OGD) Platform India. (n.d.). PM-KISAN datasets. Government of India. Retrieved April 13, 2025, from https://www.data.gov.in/keywords/pm-kisan

5. National Informatics Centre. (n.d.). PM KISAN GoI [Mobile application]. Government of India. Retrieved April 13, 2025, from https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nic.project.pmkisan

THE RESEARCH DIALOGUE
Manifestation Of Perfection

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed /Refereed National Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-04, Issue-01, April-2025
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number April-2025/06
Impact Factor (RPRI-4.73)

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

अवधेश कुमार सिंह

for publication of research paper title

"प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं ग्रामीणों पर इसका प्रभाव"

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-04, Issue-01, Month April, Year-2025.

Dr. Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com

INDEXED BY